छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 9–4 / 2015 / 1 / 3 नया रायपुर, दिनांक 23 / 01 / 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़

विषय :– शीघ्रलेखक / डाटा एण्ट्री ऑपरेटर / स्टेनो–टायपिस्ट / सहायक ग्रेड–3 के पद पर नियुक्ति हेतु कम्प्यूटर विषय से संबंधित अर्हताओं का निर्धारण।

संदर्भ :– इस विभाग का परिपत्र कमांक एफ 9–4 / 2005 / 1 / 3, दिनांक 07 अप्रैल, 2005 दिनांक 07 जून, 2007 एवं दिनांक 1 फरवरी, 2013.

इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 1 फरवरी 2013, द्वारा शीघ्रलेखक, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, स्टेनो–टायपिस्ट एवं सहायक ग्रेड–3 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता निर्धारित की गई है।

2/ इसी प्रकार संदर्भित परिपत्र दिनांक 7 अप्रेल, 2005 एवं दिनांक 7 जून, 2007 द्वारा **सहायक ग्रेड–3 एवं स्टेनो–टायपिस्ट** के पदों पर नियुक्ति के लिए कम्प्यूटर संबंधी अर्हता हेतु छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा **कम्प्यूटर विषय** से संबंधित निम्नांकित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र / डिप्लोमा / उपाधि को मान्यता प्रदान की गई है :–

1. मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा / सर्टिफिकेट।
2. मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन / राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईंस / इंफारमेशन टेक्नालॉजी / माडर्न आफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून) ।
3. वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डीम्ड यूनिवर्सिटी / इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय / भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईंस / इंफारमेशन टेक्नालॉजी / कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नात्कोत्तर उपाधि।
4. DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

निरंतर....2

3/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त संस्थाओं द्वारा कम्प्यूटर विषय में जारी किए गए प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/उपाधि को स्टेनो टायपिस्ट एवं सहायक ग्रेड–3 के पदों के अतिरिक्त अब **शीघ्रलेखक** एवं **डाटा एण्ट्री ऑपरेटर** के पदों पर नियुक्ति के लिए भी मान्य किया जाए।

4/ उपरोक्त निर्णय के अनुसार सभी विभाग उनके विभागीय सेवा भरती नियम में **शीघ्रलेखक एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटर** के पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताओं के अतिरिक्त उपरोक्त संस्थाओं द्वारा कम्प्यूटर विषय में जारी किए गए प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/उपाधि का प्रावधान करना सुनिश्चित करें। भरती नियमों में उक्त संशोधन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति मानी जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.आर.मिश्रा)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 कमांक एफ 9–4/2015/1/3 नया रायपुर, दिनांक 23/01/2015

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर,
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर,
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
4. प्रमुख सचिव विधानसभा सचिवालय, जीरो पॉइंट, रायपुर,
5. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
6. महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर,
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर,
8. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर,
9. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, पुराना मंत्रालय, डी.के.एस. भवन के सामने, रायपुर,
11. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, पेंशन बाड़ा, रायपुर,
12. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक आयोग/राज्य सूचना आयोग, रायपुर,
13. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
14. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर,
15. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण, मंत्रालय, नया रायपुर,
16. संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, विकास भवन परिसर, सिविल लाईन, रायपुर,
17. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़,

निरंतर...3

18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष–9) की ओर मान्यता प्राप्त संघों को अवगत कराने हेतु।
19. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट http://www.cg.nic.in/gad में अपलोड करने हेतु अतिरिक्त प्रति सहित।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

23/1/15

(एम.आर. ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग